रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 1993/पौष 9, 1915
No. 459] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1993/PAUSA 9, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1993

सा.का.नि. 791(अ) :—केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "पूर्त प्रयोजन" के अन्तर्गत निर्धनों को सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और सर्वसाधारण की उपयोगिता संबंधी किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना है,

(ग) "आयातकर्ता" या "निर्यातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल का आयात या निर्यात करता है और धारा 7 के अधीन अनुभव विधिमान्य आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक धारण करता है,

(घ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से महानिदेशक द्वारा धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अनुभव या नवीकरण करने के लिये प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ङ) "नीति" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन बनाई गई और घोषित निर्यात और आयात नीति अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ज) "विशेष अनुज्ञप्ति" से धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है,

(झ) "मूल्य" का वही अर्थ है जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के खंड (41) में है;

(ञ) उन शब्दों और पद के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विशेष अनुज्ञप्ति का अनुदत्त किया जाना--(1) जहां किसी व्यक्ति को अनुदत्त किया गया आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निलंबित या रद्द कर दिया गया है, वहां महानिदेशक, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए, उसे एक विशेष अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा; अर्थात्:--

(1) विशेष अनुज्ञप्ति के इंकार किये जाने से भारत के विदेश व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(2) आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक के निलंबन या रद्दकरण से ऐसी संभावना है कि भारत द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय करार के अधीन कोई बाध्यता पूरी न की जा सके;

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को अनुदत्त विशेष अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी।

4. अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाने के लिये आवेदन--कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन बनाई गई नीति या किये गये किसी प्रयोग के उपबन्धों के अनुसार माल का आयात या निर्यात करने के संबंध में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा।

5. फीस--(1) आयात के लिये अनुज्ञप्ति के संबंध में प्रत्येक आवेदन के साथ अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(2) फीस जमा करने का ढंग वह होगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(3) निम्नलिखित द्वारा किये गये किसी आवेदन के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी.

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकार का कोई विभाग या कोई कार्यालय;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा शासकीय उपयोग के लिए अपेक्षित माल के सदृभाविक आयात के लिये कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(ग) शैक्षिक, पूर्त या मिशनरी प्रयोजनों के लिए गठित किसी संस्था के उपयोग के लिए अपेक्षित माल के आयात के लिये कोई संस्था;

(घ) (किसी यान से भिन्न) किसी माल के आयात के लिये कोई आवेदक, यदि माल का आयात उसके ऐसे वैयक्तिक उपयोग के लिये है जो व्यापार या विनिर्माण से संबंधित नहीं है।

(4) एक बार प्राप्त फीस निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय लौटाई नहीं जायेगी, अर्थात्:--

(i) जहां फीस विनिर्दिष्ट फीस के मापमान से अधिक जमा की गई है; या

(ii) जहां फीस जमा की गई है किन्तु कोई आवेदन नहीं किया गया है; या

(iii) जहां फीस गलती से जमा कर दी गई है किन्तु आवेदक फीस के संदाय से छूट प्राप्त है।

6. अनुज्ञप्ति की शर्तें:--(1) निर्यात के लिये प्रत्येक अनुज्ञप्ति की यह एक शर्त समझी जायेगी कि:--

(i) कोई व्यक्ति, नीति के उपबन्धों के अनुसार के सिवाय, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति का न तो अंतरण करेगा न ही अंतरण द्वारा अर्जित करेगा;

(ii) उस निर्यात के लिये, जिसकी अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है माल निर्यात के समय अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होगी।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी, निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक या अधिक के अधीन रहते हुए, आयात के लिये अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा, अर्थात्:--

(क) अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले माल का नीति के उपबन्धों के अनुसार या अनुज्ञप्ति में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति के सिवाय व्ययन नहीं किया जायेगा;

(ख) अनुज्ञप्ति के लिये आवेदक अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों का पालन करने के लिये एक बंधपत्र निष्पादित करेगा।

(3) आयात के लिये प्रत्येक अनुज्ञप्ति की यह एक शर्त समझी जायेगी कि:--

(क) कोई व्यक्ति, नीति के उपबन्धों के अनुसार के सिवाय, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति का न तो अंतरण करेगा न ही अंतरण द्वारा अर्जित करेगा;

(ख) उस आयात के लिए जिसकी अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है माल आयात के समय और सीमा-शुल्क से निकासी के समय तक अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होगी,

(ग) उस आयात के लिए, जिसकी अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है; जब तक कि अनुज्ञप्ति अन्यथा कथित न हो, माल नए माल होंगे,

(घ) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले आयात के लिए माल का महानिदेशक की लिखित अनुज्ञा के बिना निर्यात नहीं किया जाएगा।

(4) प्रौद्योगिकी अंतरण संबंधी भारत-अमेरिका सद्भावना-ज्ञापन (मैमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग) के निबंधनों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से माल आयात करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार जारी किए गए आयात प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और आश्वासनों का, और ऐसे अन्य आश्वासनों का भी, जो उस माल का आयात करने वाले व्यक्ति द्वारा भारत सरकार के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को दिए गए हैं, पालन करेगा।

अनुज्ञप्ति से इंकार किया जाना—(1) महानिदेशक या अनुज्ञापन प्राधिकारी, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा, यदि:—

(क) आवेदक ने सीमा-शुल्क या विदेशी मुद्रा से संबंधित किसी विधि का उल्लंघन किया है;

(ख) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन सारभूत रूप से इन नियमों के किसी उपबंध के अनुरूप नहीं है;

(ग) आवेदन या उसके समर्थन में प्रयुक्त किसी दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपट पूर्ण या भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, माल के निर्यात या आयात और उसके वितरण का विशेष या विशिष्ट अभिकरणों के माध्यम से विश्लेषण करने के लिए विनिश्चय किया गया है;

(ङ) आवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन तत्समय लम्बित है;

(च) आवेदक किसी ऐसी भागीदारी फर्म में प्रबंध भागीदार है या था अथवा किसी ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का, जिसका नियंत्रक हित है, निदेशक है या था, जिसके विरुद्ध

कोई कार्रवाई अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन तत्समय लंबित है ;

(छ) आवेदक अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किसी शास्ति का संदाय करने में असफल हो जाता है ;

(ज) आवेदक ने अनुज्ञप्ति को बिगाड़ दिया है ;

(झ) आवेदक या आवेदक का कोई अभिकर्ता या कर्मचारी, उसकी सहमति से, कोई अन्य अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए किसी भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण का पक्षकार रहा है ,

(ञ) आवेदक नीति के किसी उपबंध के अनुसार अनुज्ञप्ति के के लिए पात्र नहीं है ;

(ट) आवेदक महानिदेशक या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांगे गए किन्हीं दस्तावेजों को पेश करने में असफल हो जाता है ;

(ठ) आयात के लिए अनुज्ञप्ति की दशा में, विदेशी मुद्रा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है ;

(ड) आवेदन पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जो नीति के उपबंधों के अधीन आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न हैं ;

(ढ) आवेदक ने अपने द्वारा किए गए निर्यातों के मद्धे में केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण से नकद प्रतिकरात्मक समर्थन, शुल्क वापसी, रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ताओं को अनुज्ञात नकद सहायता प्रसुविधाएं या कोई अन्य समरूप प्रसुविधाएं किसी मिथ्या कपटपूर्ण या भ्रामक विवरण या किसी ऐसे दस्तावेज जो मिथ्या या गढ़ा या बिगाड़ा हुआ है, के आधार पर अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है या अभिप्राप्त किया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति से इंकार किया जाना किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन आवेदक के विरुद्ध की जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

8. अनुज्ञप्ति में संशोधन :—अनुज्ञापन प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर, किसी अनुज्ञप्ति में ऐसी रीति से, जो आवश्यक हो या अनुज्ञप्ति में किसी गलती या लोप को परिशोधित करने के लिए संशोधन कर सकेगा।

9. अनुज्ञप्ति का निलंबन :—

(1) महानिदेशक या अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, निम्नलिखित को अनुदत्त अनुज्ञप्ति का प्रवर्तन निलंबित कर सकेगा—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, यदि निरोध का कोई आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है ; या

(ख) कोई ऐसी भागीदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, यदि खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी फर्म या कंपनी का भागीदार है या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक है :

परंतु निलंबन का आदेश, यथास्थिति, पूर्वोक्त व्यक्ति या भागीदारी फर्म या कंपनी की बाबत प्रभावहीन हो जाएगी, जब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया निरोध का आदेश :—

(i) निरोध का ऐसा आदेश होने के कारण जिसको विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 9 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उस अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व या सलाहकार बोर्ड को कोई निर्देश करने से पूर्व प्रतिसंहृत हो गया है; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश होने के कारण, जिसको विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, उस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहृत हो गया है ;

(iii) सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है।

(2) महानिदेशक या अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, इन नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति का प्रवर्तन वहां निलंबित कर सकेगा जहां ऐसी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए कार्यवाहियां नियम 10 के अधीन प्रारम्भ की गई हैं।

10. अनुज्ञप्ति का रद्द किया जाना :—महानिदेशक या अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, इन नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा, यदि :—

(क) अनुज्ञप्ति कपट द्वारा, तथ्यों को छिपा कर या दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त की गई है ; या

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी का भंग किया है ;

या

(ग) अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति को किसी रीति से बिगाड़ दिया है ; या

(घ) अनुज्ञप्तिधारी ने सीमाशुल्क या विदेशी मुद्रा से संबंधित किसी विधि या उसमें संबंधित नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है।

11. आयातित माल के मूल्य और क्वालिटी के बारे में घोषणा :—किन्हीं माल के किन्हीं सीमा-शुल्क पत्तनों में आयात करने या उनसे निर्यात करने पर, चाहे वे शुल्क के दायित्वाधीन हैं या नहीं, ऐसे माल का स्वामी सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन विहित प्रवेश पत्र या पोत पत्र या किन्हीं अन्य दस्तावेजों में अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऐसे माल का मूल्य, क्वालिटी और वर्णन कथित करेगा और माल के निर्यात करने की दशा में, यह प्रमाणित करेगा कि उन दस्तावेजों में यथाकथित माल की क्वालिटी और विनिर्देश क्रेता या समनुदेशिती के साथ की गई उस निर्यात संविदा के निबंधनों के अनुसार है जिसके अनुसरण में माल का निर्यात किया जा रहा है और ऐसे विवरण की सत्यता की घोषणा ऐसे प्रवेशपत्र या पोतपत्र या किन्हीं अन्य दस्तावेजों के पाद में करेगा।

12 आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक के बारे में घोषणा :—(1) किन्हीं माल के किसी सीमा-शुल्क पत्तन में आयात करने या उससे निर्यात करने पर, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, यथास्थिति, प्रवेशपत्र या पोतपत्र में या अधिनियम या सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किन्हीं अन्य दस्तावेजों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका आबंटित आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक कथित करेगा।

13. आयातित माल का उपयोग किया जाना :—(1) कोई भी व्यक्ति भारतीय व्यापार निगम या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा उसको आबंटित किन्हीं आयातित माल का, उसके द्वारा ऐसे आबंटन के लिए उसके आवेदन में या ऐसे आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज में घोषित रीति और प्रयोजन से अन्यथा उपयोग नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर अपने द्वारा आयातित किन्हीं माल का व्ययन ऐसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं।

14. कोई घोषणा करने, विवरण देने या घोषणा या विवरण या दस्तावेज हस्ताक्षर करने के संबंध में प्रतिषेध :—(1) कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने या कोई माल आयात करने के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज न तो करेगा न देगा न हस्ताक्षर करेगा न ही उसका उपयोग करेगा या करने या देने या हस्ताक्षर या उपयोग करने देगा जिसके बारे में यह जानकारी है या यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है।

(2) कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने या कोई माल आयात या निर्यात करने के प्रयोजनों के लिए कोई कष्ट या कपटपूर्ण आचरण का प्रयोग नहीं करेगा।

15. परिसर में प्रवेश करने और माल, दस्तावेजों, चीजों और प्रवहणों का निरीक्षण करने, उनकी तलाशी लेने तथा उनका अभिग्रहण करने की शक्ति :—(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), किसी उचित समय पर, किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा जिसमें --

(i) किन्हीं ऐसे आयातित माल या सामग्री को, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है; या

(ii) किन्हीं लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या चीजों, जो उसकी राय में, अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगी या उनसे सुसंगत होंगी,

जिनके बारे में यह संदेह है कि उन्हें रखा गया है या छिपाया गया है और ऐसे माल, सामग्री, लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों या चीजों का निरीक्षण कर सकेगा तथा उनसे ऐसे टिप्पण या उद्धरण ले सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने के कारण है कि —

(i) अधिनियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन किन्ही आयातित माल या सामग्री को; या

(ii) किन्हीं लेखापुस्तकों या दस्तावेजों या चीजों को, जो उसकी राय में, अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगी, या उनसे सुसंगत होंगी,

किसी परिसर में छिपाया गया है, तो वह ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और एसे माल, सामग्री, लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों या चीजों के लिए ऐसे परिसर की तलाशी ले सके।

(3)(क) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई आयातित माल या सामग्री अधिनियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, तो वह ऐसे माल या सामग्री को, ऐसे पैकेज, आवरण या पात्र, यदि कोई है, सहित, जिसमें ऐसे माल या सामग्री को किन्ही अन्य माल या सामग्री के साथ मिला कर रखा गया पाया गया है, अभिगृहीत कर सकेगा :

परन्तु जहां किन्हीं ऐसे माल या सामग्री का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहां प्राधिकृत व्यक्ति माल या सामग्री के स्वामी को एक आदेश तामील कर सकेगा कि वह प्राधिकृत व्यक्ति की पूर्व अनुज्ञा के बिना माल या सामग्री को न तो हटाएगा न विलग करेगा न ही अन्यथा व्ययन करेगा।

(ख) जहां किन्हीं माल या सामग्री का खंड (क) के अधीन अभिग्रहण किया जाता है और उसके संबंध में कोई सूचना माल या सामग्री के अभिग्रहण से छह मास के भीतर नहीं दी जाती है वहां माल या सामग्री उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से वे अभिग्रहीत को गई थीं, लौटा दी जाएगी :

परन्तु छह मास की पूर्वोक्त अवधि को, वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त हेतुक पर, महानिदेशक द्वारा ऐसी और अवधि के लिए जो छह मास से अधिक न हो, बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) प्राधिकृत व्यक्ति किन्हीं लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या चीजों को, जो उसकी राय में, अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगी या उनसे सुसंगत होंगी, अभिगृहीत कर सकेगा;

(घ) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से कोई दस्तावेज इस उपनियम के अधीन अभिग्रहीत किए गए है, प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में उनकी प्रतियां बनाने का या उनसे उद्धरण लेने का हकदार होगा।

(ङ) यदि इस उपनियम के अधीन अभिगृहीत लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या चीजों का विधि द्वारा हकदार कोई व्यक्ति, किसी कारण से, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या चीजों के प्रतिधारण के प्रति आक्षेप करता है तो वह केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा जिसमें ऐसे आक्षेप के लिए जो कारण हैं उन्हें कथित करेगा और लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या चीजों के लौटाए जाने के लिए निवेदन करेगा।

(च) खंड (ङ) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(छ) जहां कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया जाता है या दिया जाता है अथवा अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या उसके नियंत्रण से अभिगृहीत किया गया है या किसी व्यक्ति द्वारा धारा 11 में निर्दिष्ट किसी उल्लंघन के लिए अन्वेषण के दौरान भारत के बाहर के किसी स्थान से प्राप्त किया गया है और ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके द्वारा वह पेश किया जाता है या जिससे वह अभिगृहीत किया गया था, या ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके विरुद्ध संयुक्ततः कार्यवाही की जाती है, साक्ष्य में दिया जाता है, वहां न्याय निर्णायक प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी,—

(1) जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे दस्तावेज के हस्ताक्षर और उसका प्रत्येक अन्य भाग, जिसका किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के, जिसके बारे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उचित रूप से यह धारणा कर सकेगा कि उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं या वह उसके हस्तलेख में है, हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित किसी दस्तावेज की दशा में, उसे उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था, जिसके द्वारा उसे इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया तात्पर्यित है,

(ii) दस्तावेज को इस बात के होते हुए भी ग्रहण करेगा कि इस पर सम्यक रूप से स्टाम्प नहीं लगा है, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है।

(4) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी प्रवहण या पशु का किसी ऐसे आयातित माल या सामग्री के, जो अधिनियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाने वाला है, और ऐसे परिवहन से अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किसी समय किया जाने वाला है, तो वह ऐसे प्रवहण या पशु को रोक सकेगा या वायुयान की दशा में, उसे उतरने के लिए विवश कर सकेगा, और—

(क) प्रवहण या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा;

(ख) प्रवहण में के या पशु पर के किसी माल या सामग्री की जांच कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा?

(ग) यदि किसी प्रवहण या पशु को रोकना आवश्यक हो जाता है, तो वह उसे रोकने के लिए सभी विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग कर सकेगा और जहां ऐसे साधन निष्फल हो जाते है, वहां प्रवहण या पशु पर गोली दागी जा सकेगी,

और जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों या नीति के किसी उपबंध का या किसी अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह ऐसे प्रवहण या पशु का अभिग्रहण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इस नियम में प्रवहण के प्रति किसी निर्देश का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत वायुयान, यान या जलयान के प्रति निर्देश है।

16 परिनिर्धारण—न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उस व्यक्ति द्वारा, जिसको सूचना जारी की गई है और जिसने परिनिर्धारण के लिए विकल्प किया है और निम्नलिखित मामलों में, सूचना में विनिर्दिष्ट उल्लंघन स्वीकार किया है, संदत्त की जाने वाली परिनिर्धारण रकम अवधारित कर सकेगा, अर्थात्:—

(i) जहां यह राय है कि अधिनियम या इन नियमों या नीति के किसी उपबंध का उल्लंघन आपराधिक मनःस्थिति के बिना या जानबूझ कर भूल के बिना या तथ्यों को छिपाए बिना या किसी दुरभिसंधि के बिना या कपट और कूटरचना के बिना या विदेशी मुद्रा की हानि कराने के आशय के बिना किया गया है, या

(ii) जहां माल का आयात करने वाले व्यक्ति ने नीति में यथा-विनिर्दिष्ट वास्तविक उपभोक्ता शर्तों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है और उक्त आयातित माल का दुरुपयोग नहीं किया है, या

(iii) जहां माल का आयात करने वाले व्यक्ति ने निर्यात बाध्यता की पूर्ति नहीं की है और उक्त आयातित माल का दुरुपयोग नहीं किया है।

(2) जहां किसी व्यक्ति ने उपनियम (1) के अधीन परिनिर्धारण के लिए विकल्प किया है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किया गया परिनिर्धारण अंतिम होगा।

17. अधिहरण और मोचन—(1) किन्हीं ऐसे आयातित माल या सामग्री, जिनकी बाबत—

(क) उनके उपयोग या वितरण से संबंधित अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का, या उस प्राधिकार-पत्र का, जिसके अधीन उनका आयात किया गया था, या

(ख) उनके उपयोग या वितरण से संबंधित किसी शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए वे केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अभिकरण से या उसके माध्यम से प्राप्त की गई थीं, या

(ग) ऐसे माल या सामग्री के विक्रय या व्ययन के संबंध में नीति के अधीन अधिरोपित किसी शर्त का,

उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या करने का प्रयत्न किया गया है, किसी ऐसे पैकेज, आवरण या पात्र सहित, जिसमें ऐसे माल पाए जाते है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होंगे, और जहां ऐसे माल या सामग्री को किसी अन्य माल या सामग्री के साथ इस प्रकार मिला दिया जाता है कि उन्हें तुरंत अलग नहीं किया जा सकता, वहां ऐसे माल या सामग्री भी इस प्रकार अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होंगी :

परन्तु जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि किन्हीं ऐसे माल या सामग्री का, जो इस नियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन हैं, वैयक्तिक उपयोग के लिए आयात किया गया था न कि किसी व्यापार या उद्योग के लिए, वहां ऐसे माल या सामग्री का अधिहरण करने के लिए आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अधिहृत माल या सामग्री के मोचन की, ऐसे माल या सामग्री के बाजार मूल्य के बराबर मोचन प्रभार का संदाय करने पर, अनुज्ञा दे सकेगा।

18. प्रवहण का अधिहरण—(1) कोई ऐसा प्रवहण या पशु, जिसका किन्हीं ऐसे माल या सामग्री के, जिनका आयात किया गया है और जो नियम 17 के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, परिवहन के लिए उपयोग किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने का प्रयत्न किया गया है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होगा, जब तक कि प्रवहण या पशु का स्वामी यह साबित नहीं कर देता है कि उसका स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई है, और प्रवहण या पशु के भारसाधक व्यक्ति की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना इस प्रकार उपयोग किया गया था, किया जा रहा है या किया जाने वाला है और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे उपयोग के विरुद्ध सभी युक्ति-युक्त पूर्वावधानियां बरती थी।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी भाड़े पर माल या यात्रियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त अधिहृत प्रवहण या पशु के मोचन की ऐसे प्रवहण या पशु के बाजार मूल्य के बराबर मोचन प्रभार का संदाय करने पर अनुज्ञा देगा।

[फा. सं. 21/11/92 — एन. एम.]

डा. पी. एल. संजीवरेड्डी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

अनुसूची

(नियम 5 देखिए)

निम्नलिखित फीस आयात अनुज्ञप्ति आदि के लिए आवेदन के संबंध में उद्ग्रहणीय होगी।

क्रम सं.	विशिष्टियां	फीस की रकम
1	2	3
1.	जहां आवेदन में विनिर्दिष्ट माल का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है।	दो सौ रुपए

1	2	3
2.	जहां आवेदन मे विनिर्दिष्ट माल का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है। किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।	कम से कम दो सौ रुपए के अधीन रहते हुए प्रति हजार या उसके भाग के लिए दो रुपए
3.	जहां आवेदन मे विनिर्दिष्ट माल का मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है।	अधिक से अधिक डेढ़ लाख रुपए के अधीन रहते हुए, प्रति हजार या उसके भाग के लिए दो रुपए
4.	अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति अनुदत्त करने के लिए आवेदन।	दो सौ रुपए
5.	उस दशा में जहां आयात अनुज्ञप्ति और अन्य पत्राचार स्पीड डाक द्वारा अपेक्षित है।	दो सौ रुपए
6	पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन।	दो सौ रुपए
7	मूल कार्ड गुम हो जाने की दशा मे पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन।	एक सौ रुपए
8.	आयात अनुज्ञप्ति की लदाई – अवधि का विस्तारण।	दो सौ रुपए
9.	विभाजित अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन।	प्रति विभाजित अनुज्ञप्ति एक हजार रुपए।

टिप्पण : किसी लघु उद्योग वास्तविक उपभोक्ता या रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता द्वारा कच्ची सामग्री, संघटक और फालतू पुर्जों के आयात के लिए, जहां आवेदन मे विनिर्दिष्ट माल का मूल्य दो लाख रुपए से अधिक नहीं है आयात अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के संबंध में संदेय फीस की रकम दो सौ रुपए होगी।

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1993

G.S.R. 791(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1922);

(b) "charitable purpose" includes relief of the poor, education, medical relief, and the advancement of any other object of general public utility;

(c) "importer" or "exporter" means a person who imports or exports goods and holds a valid Importer-exporter Code Number granted under section 7;

(d) "licensing authority" means an authority authorised by the Director General under sub-section (2) of section 9 to grant or renew a licence under these rules;

(e) "Policy" means the export and import Policy formulated and announced by the Central Government under section 5;

(f) "schedule" means a Schedule appended to these rules;

(g) "section" means a section of the Act;

(h) "special licence" means a licence granted under sub-section (2) of section 8;

(i) "value" has the meaning assigned to it in clause (41) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(j) words and expression used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Grant of special licence.—(1) Where the Importer-exporter Code Number granted to any person has been suspended or cancelled under sub-section (1) of section 8, the Director General may, having regard to the following factors, grant to him a special licence, namely :—

(1) that the denial of a special licence is likely to affect the foreign trade of India adversely; or

(2) that the suspension or cancellation of the Importer-exporter Code Number is likely to lead to non-fulfilment of any obligation by India under any international agreement;

(2) The special licence granted to any person under sub-rule (1) shall be non-transferable.

4. Application for grant of licence.—A person may make an application for the grant of a licence to import or export goods in accordance with the provisions of the Policy or an Order made unler section 3.

5. Fee.—(1) Every application for a licence to import shall be accompanied by the fee specified in the Schedule.

(2) The mode of deposit of fee shall be as specified in the Schedule.

(3) No fee shall be payable in respect of any application made by :

(a) the Central Government, a State Government or any department or any office of the Government;

(b) any local authority for the bona-fide import of goods required by it for official use;

(c) any institution set up for educational, charitable or missionary purposes, for the import of goods required for its use;

(d) an applicant for the import of any goods (other than a vehicle) if the import of the goods is for his personal use which is not connected with trade or manufacture.

(4) The fee once received will not be refunded except in the following circumstances, namely :—

(i) where the fee has been deposited in excess of the specified scale of fee; or

(ii) where the fee has been deposited but no application has been made; or

(iii) where the fee has been deposited in error but the applicant is exempt from payment of fee.

6. Conditions of licence.—(1) Iit shall be deemed to be a condition of every licence for export that :—

(i) no person shall transfer or acquire by transfer any licence issued by the licensing authority except in accordance with the provisions of the Policy;

(ii) the goods for the export of which the licence is granted shall be the property of the licensee at the time of the export.

(2) The licensing authority may issue a licence for import subject to one or more of the following conditions, namely :—

(a) that the goods covered by the licence shall not be disposed of except in accordance with the provisions of the Policy or in the manner specified by the licensing authority in the licence;

(b) that the applicant for a licence shall execute a bond for complying with the terms and conditions of the licence.

(3) It shall be deemed to be a condition of every licence for import that :—

(a) no person shall transfer or acquire by transfer any licence issued by the licensing authority except in accordance with the provisions of the Policy;

(b) the goods for the import of which a licence is granted shall be the property of the licensee at the time of import and upto the time of clearance through customs;

(c) the goods for the import of which a licence is granted shall be new goods, unless otherwise stated in the licence:

(d) the goods covered by the licence for import shall not be exported without the written permission of the Director General.

(4) Any person importing goods from the United States of America in accordance with the terms of the Indo-US Memorandum of Understanding on Technology Transfer shall also comply with all the conditions and assurances specified in the Import Certificate issued in terms of such Memorandum, and such other assurances given by the person importing those goods to the Government of the United States of America through the Government of India.

7. Refusal of licence.—(1) The Director General or the licensing authority may for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew a licence if—

(a) the applicant has contravened any law relating to customs or foreign exchange;

(b) the application for the licence does not substantially conform to any provision of these rules;

(c) the application or any document used in support thereof contains any false or fraudulent or misleading statement;

(d) it has been decided by the Central Government to canalise the export or import of goods and distribution thereof, as the case may be, through special or specialised agencies;

(e) any action against the applicant is for the time being pending under the Act or rules and Orders made thereunder;

(f) the applicant is or was a managing partner in a partnership firm, or is or was a Director of a private limited company, having controlling interest against which any action is for the time being pending under the Act or rules and Orders made thereunder;

(g) the applicant fails to pay any penalty imposed on him under the Act;

(h) the applicant has tampered with a licence;

(i) the applicant or any agent or employee of the applicant with his consent has been a party to any corrupt or fraudulent practice for the purposes of obtaining any other licence;

(j) the applicant is not eligible for a licence in accordance with any provision of the Policy;

(k) the applicant fails to produce any document called for by the Director General or the licensing authority;

(l) in the case of a licence for import, no foreign exchange is available for the purpose;

(m) the application has been signed by a person other than a person duly authorised by the applicant under the provisions of the Policy;

(n) the applicant has attempted to obtain or has obtained cash compensatory support, duty drawback, cash assistance benefits allowed to Registered Exporters or any other similar benefits from the Central Government or any agency authorised by the Central Government in relation to exports made by him on the basis of any false, fraudulent or misleading statement or any document which is false or fabricated or tampered with.

(2) The refusal of a licence under sub-rule(1) shall be without prejudice to any other action that may be taken against an applicant by the licensing authority under the Act.

8. Amendment of licence.—The licensing authority may of its own motion or on an application by the licensee, amend any licence in such manner as may be necessary or to rectify any error or omission in the licence.

9. Suspension of a licence.—(1) The Director General or the licensing authority may by order in writing, suspend the operation of a licence granted to—

(a) any person, if an order of detention has been made against such person under the provisions of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974); or

(b) a partnership firm or a private limited company, if the person referred to in clause (a) is a partner or a whole time director or managing director, as the case may be, of such firm or company :

Provided that the order of suspension shall cease to have effect in respect of the aforesaid person or, as the case may be, the partnership firm or company, when the order of detention made against such person,—

(i) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) do not apply, has been revoked on the report of Advisory Board under section 8 of that Act or before receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or

(ii) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) apply, has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 read with sub-section (2) of section 9 of that Act or before receipt of such report;

(iii) has been set aside by a court of competent jurisdiction.

(2) The Director General or the licensing authority may by an order in writing suspend the operation of any licence granted under these rules, where proceedings for cancellation of such licence has been initiated under rule 10.

10. Cancellation of a licence.—The Director General or the licensing authority may by an order in writing cancel any licence granted under these rules if—

(a) the licence has been obtained by fraud, suppression of facts or misrepresentation; or

(b) the licensee has committed a breach of any of the conditions of the licence; or

(c) the licensee has tampered with the licence in any manner; or

(d) the licensee has contravened any law relating to customs or foreign exchange or the rules and regulations relating thereto.

11. Declaration as to value and quality of imported goods.—On the importation into, or exporation out of, any customs ports of any goods, whether liable to duty or not, the owner of such goods shall in the Bill of Entry or the Shipping Bill or any other documents prescribed under the Customs Act 1962, state the value, quality and description of such goods to the best of his knowledge and belief and in case of exportation of

goods, certify that the quality and specification of the goods as stated in those documentts. are in accordance with the terms of the export contract entered into with the buyer or consignee in pursuance of which the goods are being exported and shall subscribe a declaration of the truth of such statement at the foot of such Bill of Entry or Shipping Bill or any other documents.

12. Declaration as to Importer-exporter Code Number.—On the importation into or exportation out of any Customs port of any goods the importer or exporter shall in the Bill of Entry or Shipping Bill or, as the case may be, in any other documents prescribed by rules made under the Act or the Customs Act, 1962 (52 of 1962), state the Importer-exporter Code Number allotted to him by the competent authority.

13. Utilisation of imported goods.—(1) No person shall use any imported goods allotted to him by the State Trading Corporation of India or any other agency recognised by the Central Government in a manner and for the purpose, otherwise than as declared by him in his application for such allotment or in any document submitted by him in support of such application.

(2) No person shall dispose of any goods imported by him against a licence except in accordance with the terms and conditions of such licence.

14. Prohibition regarding making, signing of any declaration, statement or documents:—(1) No person shall make, sign or use or cause to be made signed or used any declaration, statement or document for the purposes of obtaining a licence or importing any goods knowing or having reason to believe that such declaration, statement or document is false in any material particular.

(2) No person shall employ any corrupt or fraudulent practice for the purposes of obtaining any licence or importing or exporting any goods.

15. Power to entetr premises and inspect, search and seize goods, documents, things and conveyances.—(1) Any person authorised by the Central Government under sub-section (1) of section 10 (hereinafter called the authorised person) may, at any reasonable time enter any premises in which—

(i) any imported goods or materials which are liable to confiscation under the provisions of the Act; or

(ii) any books of accounts or documents or things which, in his opinion, will be useful for, or relevant to any proceedings under the Act,

are suspected to have been kept or concealed and may inspect such goods, materials, books of accounts, documents or things and may take such notes or extracts therefrom as he may think fit.

(2) If the authorised person has reasons to believe that—

(i) any imported goods or materials liable to confiscation under the Act; or

(ii) any books of accounts or documents or things which, in his opinion, will be useful for, or relevant to, any proceedings under the Act,

are secreted in any premises he may enter into and search such premises for such goods, materials, books of accounts, documents or things.

(3) (a) If the authorised person has reason to believe that any imported goods or materials are liable to confiscation under the Act, he may seize such goods or materials together with the package, covering or receptacle, if any, in which such goods or materials are found to have been mixed with any other goods or materials :

Provided that where it is not practicable to seize any such goods or materials, the authorised person may serve on the owner of the goods or materials an order that he shall not remove, part with or otherwise deal with the goods or materials except with the previous permission of the authorised person.

(b) Where any goods or materials are seized under clause (a) and no notice in respect thereof is given within six months of the seizure of the goods or materials, the goods or materials shall be returned to the person from whose possession they were seized :

Provided that the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Director General for a further period not exceeding six months.

(c) The authorised person may seize any books of accounts or documents or things which in his opinion, will be useful for, or relevant to, any proceedings under the Act

(d) The person from whose custody any documents are seized under this sub-rule, shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of the authorised person.

(e) If any person legally entitled to the books of account or other documents or things seized under this sub-rule objects, for any reason, to the retention by the authorised person of the books of account or the documents or things, he may move an application to the Central Government stating therein the reasons for such objection, request for the return of the books or account or documents or things.

(f) On receipt of the application under clause (e), the Central Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard, pass such order as it may think fit.

(g) Where any document is produced or furnished by any person or has been seized from the custody or control of any person under the Act or has been received from any place outside India in the course of the investigation for any contravention referred to in section 11 by any person and such document is tendered in evidence against the person by whom it is produced or from whom it was seized or against such person or any other person who is jointly proceeded against, the Adjudicating Authority, shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.—

(i) presume, unless the contrary is proved, that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person of which the Adjudicating Authority may reasonably assume to have been signed by or to be in the handwriting of any particular person, is under the person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so executed or attested;

(ii) admit the document in evidence notwithstanding that it is not duly stamped, if such document is otherwise admissible in evidence.

(4) The authorised person, may, if he has reason to suspect that any conveyance or animal is being or is about to be used for the transportation of any imported goods or material which are liable to confiscation under the Act, and that by such transportation any provision of the Act has been, is being or is about to be contravened at any time, stop such conveyance or animal or in the case of aircraft compel it to land, and—

(a) rummage and search the conveyance or any part thereof;

(b) examine and search any goods or material in the conveyance or on the animal;

(c) if it becomes necessary to stop any conveyance or animal, he may use all lawful means for stopping it and where such means fail, the conveyance or animal may be fired upon,

and where he is satisfied that it is necessary so to do to prevent the contravention of any provision of the Act or of the rules and orders made thereunder or the Policy or condition of any licence, he may seize such conveyance or animal..

Explanation—Any reference in this rule to a conveyance shall, unless the context otherwise requires, be construed as including a reference to an aircraft, vehicle or vessel

16. Settlement.—(1) The Adjudicating Authority may determine the amount of settlement to be paid by the person to whom a notice has been issued and who has opted for settlement and has admitted the contravention specified in the notice, in the following cases, namely :—

(i) where it is of the opinion that the contravention of any provision of the Act or these rules or the Policy has been made without mensrea or without wilful mistake or without suppression of facts, or without any collusion, or without fraud and forgery, or without an intent to cause loss of foreign exchange; or

(ii) where the person importing the goods has not met the requirements of the actual user conditions as specified in the Policy and has not misutilised the said imported goods; or

(iii) where the person importing the goods has not fulfilled the export obligation and has not mis-utilised the said imported goods.

(2) Where a person has opted for settlement under sub-rule (1), the settlement made by the Adjudicating Authority shall be final.

17. Confiscation and redemption.—(1) Any imported goods or materials in respect of which—

(a) any condition of the licence, or letter of authority under which they were

imported, relating to their utilisation or distribution; or

(b) any condition, relating to their utilisation or distribution, subject to which they were received from or through, an agency recognised by the Central Government; or

(c) any condition imposed under the Policy with regard to the sale or disposal of such goods or materials;

has been, is being, or is attempted to be, contravened, shall together with any package, covering or receptacle in which such goods are found, be liable to be confiscated by the Adjudicating Authority, and where such goods or materials are so mixed with any other goods or materials that they cannot be readily separated, such other goods or materials shall also be liable to be so confiscated :

Provided that where it is established to the satisfaction of the Adjudicating Authority that any goods or materials which are liable to confiscation under this rule, had been imported for personal use, and not for any trade or industry, such goods, or materials shall not be ordered to be confiscated.

(2) The Adjudicating Authority may permit the redemption of the confiscated goods or materials upon payment of redemption charges equivalent to the market value of such goods or materials.

18. Confiscation of conveyance.—(1) Any conveyance or animal which has been, is being, or is attempted to be used, for the transport of any goods or materials that are imported and which are liable to confiscation under rule 17, shall be liable to be confiscated by the Adjudicating Authority unless the owner of the conveyance or animal proves that it was, is being, or is about to be so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in-charge of the conveyance or animal and that each of them had taken all reasonable precautions against such use.

(2) The Adjudicating Authority shall permit redemption of the confiscated conveyance or animal used for the transport of goods or passengers for hire upon payment of redemption charges equivalent to the market value of such conveyance or animal.

[File No. 21|11|92-LS]

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

SCHEDULE

(See rule 5)

The following fee shall be leviable in respect of the application for an import licence etc.

SCALE OF FEE

Sl. No.	Particulars	Amount of Fee
1	2	3
1.	Where the value of goods specified in application does not exceed Rupees fifty thousand.	Rupees two hundred
2.	Where the value of the goods specified in the application exceeds Rupees fifty thousand but does not exceed Rupees one crore.	Rupees two per thousand or part thereof subject to a minimum of rupees two hundred
3.	Where the value of the goods specified in the application exceeds rupees one crore	Rupees two per thousand or part thereof subject to a maximum of Rs. one lakh and fifty thousand
4.	Application for grant of duplicate licence	Rupees two hundred
5.	In case where import licence and other correspondence are required by Speed Post.	Rupees two hundred
6.	Application for issue of an Identity Card.	Rupees two hundred
7.	Application for issue of duplicate Identity Card in the event of loss of original Card.	Rupees one hundred
8.	Extension of the period of shipment of an Import licence	Rupees two hundred
9.	Application for grant of split-up licences.	Rupees one thousand per Split up licence

Note.—The amount of fee payable shall be rupees two hundred in respect of an application for import licence by a small scale actual user or a registered exporter, for the import of raw materials, components and spares where the value of the goods specified in the application does not exceed rupees two lakhs.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994